राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/पेयजल योजना भूंगडा/18–19/12793-804 दिनांक : 08.03.19

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : ग्रामीण जल योजना भूंगडा पुर्नगठन कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत बांसवाडा आपका पत्रांक अधी. अभि./त.सहा/वृत/बांस/2018–19/3149 दिनांक 08.03.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र पर माननीय मंत्री महादेय से प्राप्त अनुमोदन के क्रम मे कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर **बांसवाडा जिले मे ग्रामीण जल योजना भूंगडा के पुर्नगठन कार्य की** निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या–6 मे अंकित राशि की निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी–जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (राशि लाख रू. मे)

क्र.स.	ग्रा.प.	पं.स.	कार्य का नाम व स्थान	तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	भूंगडा	घाटोल	ग्रामीण जल योजना भूंगडा पुर्नगठन कार्य	SEPHED/ 17/ 07.03.19	117.67

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय शासन की स्वीकृति संख्या–17/2018–19 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी खाते में उपलब्ध है।

कार्यो का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जावेगा :–

शर्तें:–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी मद/योजना अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभागीय बजट में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें।
2. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे।तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे निविदा पश्चात जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
5. निर्माण पश्चात योजना का संचालन एवं संधारण व्यवस्था कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करेगा।
6. ट्यूबवेल वेधन/जल स्त्रोत के असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नही किया जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

8. योजना से [illegible] [illegible]/बस्तियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित [illegible] सुनिश्चित करे।
9. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है हो तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा) I.A.S.
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/पेयजल योजना भूंगडा 18–19/12793-804 दिनांक : 08.03.19
प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत बांसवाडा।
7. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण खण्ड बांसवाडा।
8. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–17/2018–19 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि में से परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को राशि रू. 117.67 लाख की 80 प्रतिशत राशि रू. 94.14 लाख हस्तांतरित करावे। यह राशि आयुक्तालय के निजी खाते में उपलब्ध है।
9. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)